प्रारंभिक परीक्षा

वेदर डेरिवेटिव्स(Weather Derivatives)

संदर्भ

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) ने भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव(मौसम आधारित व्युत्पन्न अनुबंध) को पेश करने के लिए भारतीय मौसम विभाग (IMD) के साथ सहयोग किया है।

वेदर डेरिवेटिव या मौसम आधारित व्युत्पन्न अनुबंध से क्या तात्पर्य है?

- **ये वित्तीय अनुबंध हैं जो व्यवसायों को मौसम संबंधी नुकसान (जैसे, बहुत अधिक/कम बारिश, चरम तापमान) के जोखिम से बचाव में मदद करते हैं।**
- **इसका लाभ मापनीय मौसम परिणामों पर निर्भर करता है, वास्तविक भौतिक क्षति पर नहीं।**
- निपटान IMD या प्रमाणित मौसम स्टेशनों जैसे सहमत स्रोतों द्वारा दर्ज सूचकांकों पर आधारित है।
- **उदाहरण:** एक अनुबंध के तहत किसी शहर में जून में 100 मिमी से कम वर्षा के प्रत्येक मिलीमीटर के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि वास्तविक वर्षा 90 मिमी है, तो भुगतान (100-90) x 5,000 = 50,000 रुपये होगा।
- **प्रयुक्त सामान्य सूचकांक**:
    - **हीटिंग डिग्री डेज़ (HDD):** यह मापता है कि बाहरी तापमान, आधार तापमान (अक्सर 18°C) से कितना (और कितने समय तक) नीचे चला जाता है। सर्दियों में हीटिंग की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
    - **कूलिंग डिग्री डेज़ (CDD):** यह मापता है कि तापमान, आधार स्तर (अक्सर 18°C) से कितना ऊपर उठता है। गर्मियों में शीतलन की माँग के लिए उपयोग किया जाता है।
    - **कुल वर्षा:** किसी विशिष्ट अवधि और स्थान पर मिलीमीटर में मापी गई संचयी वर्षा।
    - **अन्य सूचकांक:** इसमें कुल बर्फबारी, औसत वायु गति आदि शामिल हो सकते हैं।

बीमा उत्पाद बनाम डेरिवेटिव -

- **बीमा(Insurance):**
    - **विशिष्ट, सत्यापन योग्य परिसंपत्ति-आधारित हानियों (जैसे, बाढ़ से होने वाली क्षति) को कवर करता है।**
    - वास्तविक क्षति आकलन और दावे के सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाता है।
- **डेरिवेटिव(Derivative):**
    - **गैर-विनाशकारी, आवर्ती जोखिमों (जैसे, कम वर्षा) के लिए उपयुक्त।**
    - संपत्ति को वास्तविक नुकसान की परवाह किए बिना, पूर्वनिर्धारित मौसम सूचकांक के आधार पर भुगतान किया जाता है।

एक मजबूत वेदर डेरिवेटिव बाजार का महत्व और पूर्वापेक्षाएँ -

- **एक अच्छी तरह से विकसित वेदर डेरिवेटिव बाजार, मौसम में उतार-चढ़ाव से जुड़ी चूक को कम करके बैंकों और एनबीएफसी की ऋण गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।**
- यह नीति निर्माताओं को वास्तविक समय, बाजार-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे सरकारी नीति यह प्रतिबिंबित करने में सक्षम होती है कि हितधारक मौसम संबंधी जोखिमों का आकलन और मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं।
- ऐसा बाजार भारत की जलवायु लचीलापन को बढ़ाता है, तथा प्रतिक्रियात्मक आपदा राहत के दृष्टिकोण को सक्रिय, जोखिम-साझाकरण तंत्र में परिवर्तित करता है।

- विश्वसनीय, विस्तृत मौसम संबंधी आंकड़ों (जैसे, कृषि-स्तरीय सेंसर) और उन्नत पूर्वानुमान उपकरणों (जैसे जलवायु मॉडल) की मांग बढ़ेगी, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान और ऊर्जा विश्लेषण में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे।
- इस प्रणाली की सफलता के लिए, IMD और निजी मौसम प्रदाताओं जैसी एजेंसियों को लगातार, क्षेत्र-विशिष्ट और विश्वसनीय डेटासेट प्रदान करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों को व्यापक वेदर डेरिवेटिव्स बाजार के साथ व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए विस्तृत और सुलभ उत्पाद विकसित करने होंगे।

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

शत्रु संपत्ति अधिनियम(Enemy Property Act)

संदर्भ

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान को केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया है।

शत्रु संपत्ति क्या है?

- ऐसे व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियाँ जिन्होंने:
  - भारत के विरुद्ध युद्ध लड़े, या
  - शत्रु राष्ट्रों (जैसे पाकिस्तान या चीन) की नागरिकता प्राप्त की।
- इनमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियाँ (भूमि, भवन, शेयर, व्यवसाय) शामिल हैं।
- ऐसी संपत्तियों को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और उन्हें "शत्रु संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

भारत में शत्रु संपत्तियों की पृष्ठभूमि -

- यह अवधारणा निम्नलिखित के बाद उत्पन्न हुई:
  - **भारत-पाक युद्ध (1965 और 1971)**
  - **भारत-चीन युद्ध (1962)**
- जो नागरिक पाकिस्तान या चीन चले गए, वे भारत में अपनी संपत्तियां छोड़ गए।
- इन्हें **भारत रक्षा अधिनियम, 1962** और **भारत रक्षा नियमों के तहत जब्त किया गया था**।
- **इन परिसंपत्तियों के प्रबंधन, नियंत्रण और निपटान के लिए सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जाता है।**

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 -

- **शत्रु संपत्ति को शत्रु संपत्ति के संरक्षक को स्थायी रूप से कानूनी रूप से सौंपने के लिए पारित किया गया।**
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - शत्रु संपत्ति को हस्तांतरित या विरासत में नहीं दिया जा सकता।
  - केवल संरक्षक को ही उनका प्रबंधन, पट्टे या निपटान करने का अधिकार है।

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 -

- **प्रमुख अपडेट:**
  - उत्तराधिकार अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं - कोई भी व्यक्ति (यहां तक कि भारतीय नागरिक भी) शत्रु संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता।
  - कानूनी स्वामित्व और किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण सख्त वर्जित है।
  - नागरिक दावों या उत्तराधिकार विवादों के लिए सभी खामियों को बंद कर दिया गया।

शत्रु संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया (2018 दिशानिर्देश) -

- बिक्री, मूल्यांकन और नीलामी के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं:
  - जिला मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में मूल्यांकन समितियां संपत्तियों का मूल्यांकन करती हैं।
  - यदि संपत्ति पर कब्जा है, तो निवासी निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीद सकता है।
  - सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं के माध्यम से बेची गई चल संपत्तियां (जैसे शेयर)।

शत्रु संपत्ति पर प्रमुख आँकड़े -

- पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 9,280 शत्रु संपत्तियां।
- चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 126 शत्रु संपत्तियां।

- **9,400 से अधिक संपत्तियां सरकारी संरक्षण में हैं।**
- **अनुमानित कुल मूल्य:** ₹1 लाख करोड़ से अधिक।
- नीलामी की आय भारत की संचित निधि में जाती है।

स्रोत: **इंडियनएक्सप्रेस**

नामिबिया

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने नामीबिया का दौरा किया, जो 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूपीआई की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की साझेदारी को बढ़ाया।

नामीबिया का भौगोलिक अवलोकन -

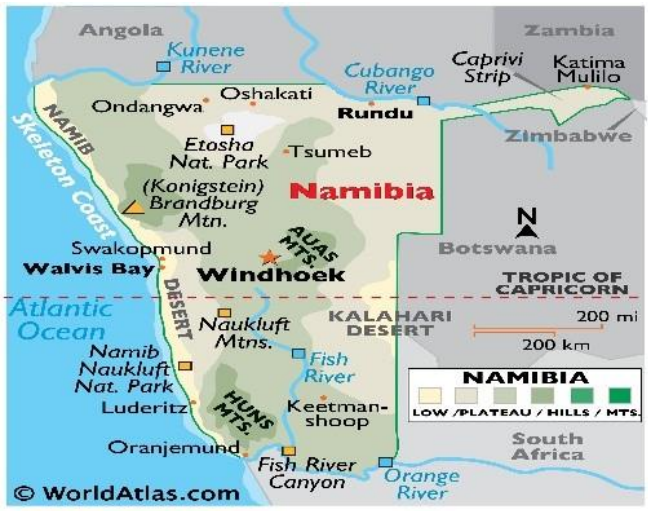

- **अवस्थिति:** दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नामीबिया की अटलांटिक महासागर तक पहुंच है, जो इसे अंतर्देशीय अफ्रीकी देशों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाता है।
- **राजधानी: विंडहोक**
- **पड़ोसी देश:** अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा करता है; पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर तक खुलती है।

भारत के लिए नामीबिया का महत्व -

1. सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व:

- **दक्षिणी अफ्रीका का प्रवेशद्वार:** नामीबिया की स्थिति भारत को अटलांटिक तट के माध्यम से स्थलरुद्ध अफ्रीकी देशों तक पहुंच प्रदान करती है।
- **वैश्विक दक्षिण संबंधों को सुदृढ़ करना:** यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अफ्रीका तक पहुंच पर भारत के फोकस के साथ संरेखित है।
- **चीनी प्रभाव का मुकाबला:** साझेदारी अफ्रीकी बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है।

2. ऊर्जा और खनिज संसाधन:

- **यूरेनियम आपूर्ति:** नामीबिया यूरेनियम का एक प्रमुख निर्यातक है - जो भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है।
- **हीरे और दुर्लभ खनिज:** इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिजों का संभावित स्रोत।
- **ऊर्जा सहयोग:** हरित हाइड्रोजन, सौर और अपतटीय ऊर्जा में अवसर।

3. आर्थिक एवं व्यापारिक संभावनाएं:

- **यूपीआई विस्तार:** भारत में यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की शुरुआत से फिनटेक कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा।
- **फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा:** नामीबिया को सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है - भारत एक प्रमुख साझेदार है।
- **निवेश एवं कौशल विकास:** खनन, कृषि, आईटी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारतीय निवेश की संभावना।

4. रक्षा और समुद्री सहयोग:

- **हिंद महासागर सुरक्षा:** समुद्री क्षेत्र जागरूकता और नौसैनिक कूटनीति में सहयोग संभव।

- **रक्षा प्रशिक्षण एवं उपकरण:** रक्षा निर्यात और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावना।

5. लोगों से लोगों के बीच संबंध और राजनयिक संबंध:

- **27 वर्षों में पहली प्रधानमंत्री यात्रा:** अफ्रीका, विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत।
- **शैक्षिक संबंध:** नामीबियाई छात्र अक्सर छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं।
- **सांस्कृतिक बंधन:** बढ़ते भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सद्भावना को बढ़ावा देते हैं।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017

संदर्भ

केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार द्वारा दायर एक समुद्री वाद (एडमिरल्टी मुकदमा) के जवाब में, वर्तमान में विझिंजम बंदरगाह पर लंगर डाले हुए लाइबेरियाई कंटेनर पोत **MSC Akiteta II** की सशर्त गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि -

- **केरल सरकार ने 25 मई को अलप्पुझा के निकट MSC Elsa III के डूबने के बाद एक एडमिरल्टी मुकदमा दायर किया।**
- जहाज में कथित तौर पर प्लास्टिक के छर्रे और डीजल जैसी खतरनाक सामग्री से भरे 600 से अधिक कंटेनर थे।
- इस रिसाव से केरल के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति हुई।
- इसके जवाब में, केरल उच्च न्यायालय ने मुआवजे का दावा सुरक्षित करने के लिए विझिंजम बंदरगाह पर खड़े MSC AKITETA II को सशर्त रूप से गिरफ्तार कर लिया।
- केरल सरकार का आरोप है कि **MSC Elsa III** और **MSC Akiteta II** दोनों **"सिस्टर शिप्स"** हैं, जो **Mediterranean Shipping Company (MSC)** के स्वामित्व में हैं।
- यद्यपि दोनों अलग-अलग शेल कंपनियों के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन दोनों एक ही जिनेवा पते से काम करती हैं।
- राज्य का दावा है कि यह संरचना दायित्व से बचने के लिए एक धोखाधड़ी उपकरण था।

एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017 -

- **उद्देश्य:** निम्नलिखित सहित समुद्री विवादों को नियंत्रित करता है:
  - जहाज क्षति
  - स्वामित्व के मुद्दे
  - नाविक वेतन विवाद
  - पर्यावरणीय क्षति
  - समुद्र में जान-माल की हानि/चोटें
- इसने औपनिवेशिक युग के निम्नलिखित कानूनों को प्रतिस्थापित किया गया:
  - एडमिरल्टी कोर्ट अधिनियम, 1861
  - औपनिवेशिक नौवाहनविभाग न्यायालय अधिनियम, 1890

2017 अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का विस्तार -

- **इससे पहले:** क्षेत्राधिकार बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों तक सीमित था।
- **अब:** इन उच्च न्यायालयों तक विस्तारित:
  - केरल
  - कर्नाटक
  - ओडिशा
  - तेलंगाना
  - आंध्र प्रदेश
- **क्षेत्राधिकार में समुद्र तल, भूमिगत क्षेत्र और हवाई क्षेत्र सहित तट से 12 समुद्री मील का क्षेत्र शामिल है।**

पर्यावरणीय क्षति प्रावधान -

- **धारा 4:** पर्यावरणीय क्षति और सफाई लागत के लिए समुद्री दावों की अनुमति देता है।
- **दावों का समर्थन करने वाले अतिरिक्त कानून**:

- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958**: तेल रिसाव के लिए जहाज मालिकों को उत्तरदायी बनाता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**: प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- **एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण)**: पर्यावरण क्षतिपूर्ति दावों को संभालता है।
  - मुंबई के पास एमवी राक तेल रिसाव के बाद 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

कानूनी आधार और न्यायालय का औचित्य -

- **एडमिरल्टी अधिनियम की धारा-5 के तहत उच्च न्यायालय को डिमाइस चार्टर (बेयरबोट चार्टर) के तहत भी जहाजों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।**
- एक डिमाइस चार्टर अस्थायी रूप से एक जहाज (चालक दल, संचालन, रखरखाव) का पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करता है, तथा "कुछ समय के लिए मालिक" के रूप में कार्य करता है।
- अदालत ने केरल के दावों को स्वीकार कर लिया और जहाज़ को तब तक गिरफ़्तार करने का आदेश दिया जब तक:
  - मालिक दावा की गई राशि जमा नहीं कर देते, या
  - पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर देते।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

ग्रेट हॉर्नबिल

संदर्भ

ग्रेट हॉर्नबिल (स्थानीय नाम: मलमुझक्की वेझंबल), जो केरल का राज्य पक्षी है, को कन्नूर जिले के एझिमाला के पास कक्कमपारा के तटीय क्षेत्र में देखा गया। यह स्थान इसके सामान्य वन आवासों से काफी दूर स्थित है।

ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस बाइकोर्निस) के बारे में

- **वितरण**:
  - **भारतीय उपमहाद्वीप** और **दक्षिण पूर्व एशिया** में पाया जाता है।
  - भारत में, **पश्चिमी घाट** और **हिमालय के जंगलों में देखा जाता है**।
- **प्राकृतिक वास**:
  - **यह आर्द्र सदाबहार** और **पर्णपाती पुराने वनों में** निवास करता है।
  - **600-2000 मीटर** की ऊंचाई पर पाया जाता है।
  - घोंसले के लिए ऐसे ऊँचे पेड़ों को पसंद करता है जो वन की छतरी (canopy) से ऊपर उठे होते हैं।
- **भौतिक विशेषताएं**
  - **आकार**: लंबाई 95 से 120 सेमी; पंख फैलाव: 151 से 178 सेमी।
  - **वजन**: लगभग 3 किलोग्राम
  - **रंग**:
    - काला शरीर, सिर और पंख।
    - सफेद गर्दन, पेट और पूंछ (पूंछ पर काली पट्टी होती है)।
    - प्रीन ग्रंथि द्वारा स्रावित तेल के कारण चमकीले पीले से लाल रंग।
  - **उल्लेखनीय विशेषताएं:**
    - **चोंच के ऊपर बड़ा खोखला कवच, जिसका उपयोग युद्ध और प्रणय निवेदन के लिए किया जाता है।**
    - प्रमुख पलकें
    - **यौन द्विरूपता**:
      - नर की पुतलियाँ लाल होती हैं तथा चोंच/कास्क बड़ी होती हैं।
      - मादाओं की पुतलियाँ सफेद होती हैं।
- **आहार**:
  - **मुख्यतः** फलभक्षी (फल खाने वाला)।
  - यह अवसर मिलने पर छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों को खा जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति**:
  - **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त (**Vulnerable**)

स्रोत: द हिंदू

सिएरा लिओन

संदर्भ

सिएरा लियोन के न्यांगाई द्वीप ने समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण अपनी दो-तिहाई भूमि खो दी है, जिससे वहां के निवासियों को अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह देश में **जलवायु विस्थापन** (climate displacement) के पहले मामलों में से एक बन गया है।

सिएरा लियोन के बारे में -

- **अवस्थिति:** अटलांटिक महासागर के किनारे पश्चिम अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय देश।
- **सीमाएँ: गिनी** (उत्तर और पूर्व), **लाइबेरिया** (दक्षिण), **अटलांटिक महासागर** (पश्चिम)।
- **भूगोल:** अंतर्देशीय क्षेत्र में हल्की वनों वाली पहाड़ियाँ; तट के किनारे मैंग्रोव दलदल।
- **प्रमुख नदियाँ:** रोकेल, ताइया, मोआ और सेवा नदियाँ।
- **इतिहास:**
  - 1787 में इंग्लैंड से आए पूर्व गुलाम लोगों द्वारा, बाद में नोवा स्कोटिया और जमैका से आए लोगों द्वारा उपनिवेश बनाया गया।
  - **1808 में ब्रिटिश राज का उपनिवेश बना; 1961 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई।**
- **लोग एवं भाषा:**
  - **जनसंख्या:** लगभग **7.5 मिलियन**
  - **जातीय समूह:** 16 प्रमुख समूह, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भाषा और पोशाक है।
  - **भाषाएँ: अंग्रेजी** (आधिकारिक), **क्रियो** (व्यापक रूप से बोली जाने वाली)।
- **सरकार:**
  - **प्रणाली: प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति** और **एकसदनीय विधायिका** वाला संवैधानिक गणराज्य।
  - **राजधानी: फ्रीटाउन**, दुनिया के सबसे बड़े **प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक के लिए जाना जाता है**।
- **अर्थव्यवस्था:**
  - **निर्वाह कृषि का प्रभुत्व**
  - **हीरे**, **सोना**, **बॉक्साइट** और **रूटाइल (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)** जैसे खनिजों से समृद्ध।

स्रोत: द हिंदू

समाचार संक्षेप में

विटामिन डी की कमी

- **समाचार?** अनुचित कार्य-जीवन संतुलन के कारण भारत में विटामिन डी की कमी महामारी के स्तर तक पहुंच गई है।
- **विटामिन डी का महत्व:**
  - स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम अवशोषण का समर्थन करता है।
  - प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।
  - मांसपेशियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और गिरने का जोखिम कम होता है।
  - सूजन और स्वप्रतिरक्षी रोगों के जोखिम को कम करता है।
  - हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है।
  - मनोदशा और संज्ञानात्मक कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है।
- **कमी के कारण:**
  - **रिकेट्स:** बच्चों में नरम, कमजोर हड्डियां और विकृतियां।
  - **ऑस्टियोमैलेशिया:** नरम हड्डियों के कारण वयस्कों में हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी।
  - **ऑस्टियोपोरोसिस:** वृद्ध वयस्कों में हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।

जलवायु परिवर्तन से ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ सकता है

- **समाचार?** एक हालिया अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ सकते हैं।
- **ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जलवायु परिवर्तन कैसे जिम्मेदार है:**
  - **ग्लेशियरों का पिघलना:**
    - **दबाव में कमी:** पिघलते ग्लेशियर भूमिगत मैग्मा कक्षों पर दबाव कम कर देते हैं।
    - **मैग्मा एवं गैसों का विस्तार:** कम दबाव के कारण मैग्मा एवं गैसों का विस्तार होता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है।
    - **निम्न गलनांक:** कम दबाव के कारण चट्टानें कम तापमान पर पिघलती हैं, जिससे मैग्मा का उत्पादन बढ़ जाता है।
    - **ऐतिहासिक साक्ष्य:** आइसलैंड और चिली जैसे स्थानों में विहिमनद काल में ज्वालामुखी विस्फोटों में तीव्र वृद्धि देखी गई।
  - **बढ़ी हुई वर्षा:**
    - **जल प्रवेश:** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में वृद्धि होने से अधिक मात्रा में पानी भूमि में गहराई तक प्रवेश करता है।
    - **विस्फोटों को प्रेरित करना:** पानी भूमिगत मैग्मा के साथ क्रिया करता है, जिससे विस्फोटों का खतरा बढ़ जाता है।
    - **परिवर्तित पैटर्न:** जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में तीव्रता आ सकती है, जिससे अप्रत्याशित ज्वालामुखी गतिविधि हो सकती है।

जा माता अभ्यास

- **समाचार?** जापानी तटरक्षक जहाज (JCGS) इत्सुकुशिमा जा माता अभ्यास के लिए चेन्नई पहुंचा।
  - **यह जापान और भारतीय तटरक्षकों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है।**

संपादकीय सारांश

बढ़ते सैन्य खर्च का क्या प्रभाव होगा?

संदर्भ

जून में आयोजित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने यह संकल्प लिया कि वे 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% रक्षा खर्च पर व्यय करेंगे। (यह खर्च विशेष रूप से "मूल रक्षा आवश्यकताओं" और "रक्षा व सुरक्षा से संबंधित अन्य व्ययों" को शामिल करेगा।)

सैन्य व्यय का ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र -

- **शीत युद्ध काल (1947-1991):**
  - 1960 में सैन्य खर्च चरम पर पहुंच गया, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 6.1% था।
  - अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ से प्रेरित।
  - अंतिम शीत युद्ध वर्ष (1991) में सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3% था।
- **शीत युद्ध के बाद की गिरावट (1991-1998):**
  - वैश्विक तनाव में उल्लेखनीय कमी के कारण व्यय में लगातार गिरावट आई।
  - **1998 में निम्नतम बिंदु:** वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.1%, लगभग 1,100 बिलियन डॉलर।
- **क्रमिक वृद्धि (2000-2010):**
  - क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवाद और नई सुरक्षा चुनौतियों के कारण पुनरुत्थान।
  - 2015 तक यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% था।
- **हालिया उछाल (2020):**
  - प्रमुख संघर्षों (रूस-यूक्रेन, इजराइल-गाजा, भारत-पाकिस्तान, इजराइल-ईरान) के कारण इसमें तीव्र वृद्धि हुई।
  - **2024: सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% ($2,718 बिलियन), एक वर्ष में 9.4% की वृद्धि - 1988 के बाद से सबसे तीव्र वृद्धि।**

शीर्ष 5 सैन्य खर्च वाले देश (2024)

1. **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 997 बिलियन डॉलर, अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%।
2. **चीन:** 314 बिलियन डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.7%।
3. **रूस:** 149 बिलियन डॉलर, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% है।
4. **जर्मनी:** 88.5 बिलियन डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का ~1.9%।
5. **भारत:** 86.1 बिलियन डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3%

सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सबसे अधिक खर्च करने वाले देश (सक्रिय युद्ध क्षेत्रों को छोड़कर)

1. **सऊदी अरब:** 7.3%
2. **पोलैंड:** 4.2%
3. **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 3.4%

बढ़े हुए सैन्य खर्च के प्रभाव -

- **सामाजिक एवं विकासात्मक व्यय को बाहर करना:** स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और जलवायु शमन से संसाधनों को हटाना।
  - संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट (44 बिलियन डॉलर) सैन्य व्यय (2.7 ट्रिलियन डॉलर) के सामने छोटा पड़ जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शांति पहल को झटका:** विदेशी सहायता में कटौती (जैसे, यूएसएआईडी को बंद करना) विकास, मानवीय और शांति स्थापना कार्यक्रमों को कमजोर करती है।

- **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को कमजोर करना:** कम धनराशि गरीबी को समाप्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के प्रयासों को धीमा कर देती है।
    - **उदाहरण:** यूएसएआईडी के हटने से 2030 तक 14 मिलियन अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव:** रक्षा गतिविधियों में वृद्धि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है (उदाहरण के लिए, 3.5% नाटो जीडीपी लक्ष्य = 200 मिलियन अतिरिक्त टन प्रतिवर्ष)।
    - बढ़ती जलवायु आपात स्थितियों के बावजूद जलवायु शमन से धन का विचलन।
- **संसाधनों का गलत आवंटन:** बुनियादी जरूरतों और सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान देने के बजाय दुर्लभ सार्वजनिक धन को हथियारों और सेना पर आवंटित किया जाता है।
    - 12 दिनों में अमेरिका ने मिसाइल इंटरसेप्टर पर 1 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए (जो संयुक्त राष्ट्र की छमाही प्राप्तियों के छठे हिस्से के बराबर है)।
- **वैश्विक असमानता:** सैन्य व्यय कुछ ही देशों तक सीमित है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और विकास में असमानताएं बढ़ रही हैं।
- **दीर्घकालिक मानव कल्याण के लिए खतरा:** शांति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि इसके लिए जीवन-निर्वाह की स्थितियों में निवेश की आवश्यकता होती है; सैन्य बजट में वृद्धि इस समग्र शांति को कमजोर करती है।

सैन्य खर्च में वृद्धि से भारत कैसे प्रभावित होगा?

- **बजटीय समझौता:** उच्च रक्षा आवंटन से स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो जाती है।
    - **उदाहरण**: 2023-24 में, भारत ने रक्षा के लिए ₹6.81 लाख करोड़ आवंटित किए, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा को केवल ₹7,200 करोड़ प्राप्त हुए।
- **कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय:** रक्षा व्यय में वृद्धि (जीडीपी का 2.3%) के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय कम (जीडीपी का 1.84%) बना हुआ है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य (2.5%) और विकसित देशों के औसत (~10%) से काफी कम है।
- **आपातकालीन व्यय से दबाव:** "ऑपरेशन सिंदूर" जैसे अभियानों के कारण आपातकालीन आवंटन (₹50,000 करोड़) करना पड़ा, जिससे समग्र बजट पर और अधिक दबाव पड़ा।

स्रोत: द हिंदू

UNFCCC प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता हाल के वर्षों में विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है।

UNFCCC की प्रतिबद्धताएँ क्यों विफल रहीं?

- **जवाबदेही का अभाव:** विकसित देश बार-बार उत्सर्जन में कमी और जलवायु वित्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, तथा उन्हें कोई सार्थक परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है, जिससे प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता कम हुई है।
- **आम सहमति गतिरोध:** आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रत्येक देश को वास्तविक वीटो का अधिकार देती है, जिससे एक छोटे समूह (या यहां तक कि एक देश) के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई को अवरुद्ध करना या परिणामों को कमजोर करना आसान हो जाता है।
- **कमजोर प्रवर्तन तंत्र:** 30 से अधिक वर्षों की वार्ता के बावजूद, बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं और अनुपालन तंत्र बार-बार विफल रहे हैं या उन्हें त्याग दिया गया है।
- **कमजोर आवाजों का हाशिए पर जाना:** छोटे और कमजोर विकासशील देशों को लगता है कि उनकी तत्काल चिंताओं (अनुकूलन, हानि और क्षति) का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है; जलवायु न्याय केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गया है।
- **जीवाश्म ईंधन हितों का प्रभाव:** जीवाश्म ईंधन लॉबिस्टों की उच्च भागीदारी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं (जैसे, दुबई, बाकू) वाले मेजबान देशों के चयन ने हितों के टकराव के बारे में सवाल उठाए हैं।
- **प्रमुख देशों का पीछे हटना:** प्रमुख देशों (जैसे, ट्रम्प के अधीन अमेरिका) का बार-बार पीछे हटना या पीछे हटना वैश्विक प्रयासों को बाधित करता है और गंभीरता की कमी का संकेत देता है।

प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता क्यों है -

- **बढ़ता जलवायु संकट:** जलवायु आपातकाल का पैमाना और तात्कालिकता तीव्र एवं अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई की मांग करती है, जो वर्तमान प्रक्रिया से संभव नहीं हो पा रही है।
    - **उदाहरण के लिए,** चरम मौसम तीव्र हो रहा है और 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था
- **विश्वास का क्षरण:** धीमी प्रगति और टूटे वादों से निराश, विकासशील और कमजोर देश जलवायु न्याय प्रदान करने की UNFCCC की क्षमता में विश्वास खो रहे हैं।
- **अकुशल वार्ता:** वार्ताएं लंबी, अतिव्यापी कार्यसूची और प्रक्रियागत देरी के कारण अटक जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कमजोर, निम्नतम-सामान्य-भाजक परिणाम सामने आते हैं।
- **अपर्याप्त वित्तीय प्रवाह:** विकसित देशों से विकासशील देशों को मिलने वाला वित्तपोषण आवश्यकता से बहुत कम है, जिससे जमीनी स्तर पर वास्तविक जलवायु कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है।
    - **उदाहरण के लिए,** 2024 में शुरू की गई हानि एवं क्षति निधि को 768 मिलियन डॉलर के वचन में से केवल 321 मिलियन डॉलर ही प्राप्त हुए हैं, तथा चीन और भारत जैसे प्रमुख उत्सर्जक योगदान देने से अनुपस्थित हैं।
- **समावेशिता का अभाव:** छोटे प्रतिनिधिमंडल और नागरिक समाज समूह संसाधन और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं के कारण सार्थक रूप से भाग लेने के लिए संघर्ष करते हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **निर्णय लेने में सुधार:** जब आम सहमति न बन पाए तो बहुमत आधारित मतदान पर विचार करना, ताकि गतिरोध को रोका जा सके और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति हो सके।
    - मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और प्रक्रियागत अव्यवस्था को कम करने के लिए एजेंडा मदों को सुव्यवस्थित करना।

- **जवाबदेही में वृद्धि:** प्रतिबद्धताओं (विशेष रूप से वित्त और उत्सर्जन) के अनुपालन न करने पर निगरानी, रिपोर्टिंग और दण्ड देने के लिए तंत्र स्थापित करना।
- **जीवाश्म ईंधन के प्रभाव को सीमित करना:** हितों के टकराव को रोकने के लिए वार्ता में जीवाश्म ईंधन लॉबिस्टों और प्रदूषणकारी उद्योगों की भागीदारी को कम करना।
- **जलवायु वित्त में वृद्धि:** विकसित देशों से आग्रह करना कि वे जलवायु वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि करें, जो विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करे (100 बिलियन डॉलर/वर्ष के लक्ष्य से परे)।
- **सहभागिता को व्यापक बनाएं:** IEEFA की 2025 की रिपोर्ट में एक न्यायसंगत संक्रमण वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिसमें श्रमिक, समुदाय और नागरिक समाज शामिल हों, तथा सामाजिक प्राथमिकताओं के लिए वित्तपोषण में वर्तमान अंतराल पर ध्यान दिया गया है।
- **बहुपक्षीय तंत्रों का नवप्रवर्तन:** सीओपी निर्णयों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए नए, पूरक संस्थानों या गठबंधनों (जैसे, जलवायु वित्त क्लब, प्रौद्योगिकी साझाकरण समूह) का विकास करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस